विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-02/15

मेसर्स सुनील आईल मिल्स — आवेदक
ग्राम–सेमलिया, ए.बी. रोड़,
तह. सेंधवा जिला–बड़वानी
(म.प्र.)

विरूद्ध

प्रबंध संचालक — अनावेदक
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
जीपीएच कम्पाउण्ड, पोलो ग्राउण्ड, इंदौर।

आदेश
(दिनांक 18.08.2015 को पारित)

01 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर के शिकायत प्रकरण क्रमांक W0283714 श्री राजेन्द्र अग्रवाल विरूद्ध प्रबंध संचालक, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. में पारित आदेश दिनांक 23.12.2014 के विरूद्ध उपभोक्ता की ओर से अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

02 लोकपाल कार्यालय में दर्ज प्रकरण क्रमांक एल00–02/15 में तर्क हेतु उभय पक्षों को दिनांक 17.8.2015 को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03 तर्क के दौरान आवेदक द्वारा अवगत कराया गया कि उनका एक औद्योगिक विद्युत कनेक्शन ग्राम सेमलिया ग्राम पंचायत बड़गांव तह. सेंधवा में स्थापित है।

04 आवेदक द्वारा बताया गया कि अनावेदक द्वारा उन्हें शहरी क्षेत्र हेतु निर्धारित टैरिफ के अनुसार बिलिंग की जा रही है, जबकि आवेदक का विद्युत कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्र में है। निम्नदाब उपभोक्ता के लिए सामान्य निबंधन की शर्ते की कंडिका 1 में मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 25.3.2006 का उल्लेख है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

05 शासन की इस अधिसूचना के परिपालन में विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2006–07 एवं उसके बाद के वर्षों में जारी टैरिफ आदेश में इसका समावेश किया गया जिसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं को ग्रामीण क्षेत्र हेतु निर्धारित दर से बिलिंग की जानी है।

06 आवेदक द्वारा वर्ष 2006–07 के टैरिफ आदेश के आधार पर वर्ष 2013–14 तक ग्रामीण क्षेत्र के टैरिफ के विरूद्ध शहरी क्षेत्र के टैरिफ के अनुसार की गई बिलिंग की अंतर की राशि वापस करने हेतु अनुरोध किया है।

07 तर्क में अनावेदक द्वारा बताया गया कि आवेदक को शहरी क्षेत्र के औद्योगिक फीडर से विद्युत प्रदाय दिया जा रहा है जिससे आवेदक को 24 घंटे विद्युत प्राप्त हो रही है। आवेदक के औद्योगिक कनेक्शन को जिस टैरिफ के तहत कनेक्शन दिया गया है वह एक्सप्रेस लाइन है तथा वह ग्रामीण क्षेत्र के टैरिफ के अनुसार बिलिंग नहीं दी जा सकती। अतः आवेदक द्वारा किसी प्रकार की रियायत प्राप्त करने का हकदार नहीं है।

08 अनावेदक द्वारा यह भी बताया गया कि अलग–अलग फीडर को विभिन्न ग्रुपों में बांटा गया जिसका कि 1 से 4 नं. के ग्रुप ग्रामीण फीडर में आते हैं जबकि आवेदक के फीडर का ग्रुप 9 से विद्युत सप्लाई की जा रही है जो कि एक्सप्रेस फीडर है जिससे उसे 24 घंटे विद्युत प्राप्त हो रही है। अतः उन्हें शहरी टैरिफ के अनुसार बिलिंग की गई है।

09 अनावेदक द्वारा इस बात का उल्लेख भी किया गया कि आवेदक एवं अनावेदक के मध्य निष्पादित अनुबंध के अनुसार विद्युत प्रदाय की जाती है अतः उसे निरस्त किये जाने तक उपभोक्ता को कोई भी सहायता नहीं प्रदान की जा सकती।

10 आवेदक तथा अनावेदक के मध्य निष्पादित अनुबंध में इस बात का उल्लेख है कि आवेदक को पूर्ति की गई विद्युत के लिए मंडल/कंपनी द्वारा समय–समय पर निर्धारित दरों पर विद्युत का भुगतान किया जाएगा एवं अनुबंध अनुसार अनावेदक विद्युत संबंधी सुविधाऐं आवेदक को उपलब्ध कराएगा।

:: निष्कर्ष ::

उपरोक्त तथ्यों, तर्कों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों की विवेचना के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि –

11 आवेदक का विद्युत कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित है तथा अनावेदक इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका कि आवेदक का विद्युत कनेक्शन शहरी क्षेत्र में है सिवाय इसके कि आवेदक को 24 घंटे सप्लाई देने की सुविधा प्रदान की गई है।

12 अनावेदक द्वारा यह कहा जाना कि आवेदक के विद्युत कनेक्शन को शहरी क्षेत्र के फीडर अथवा एक्सप्रेस फीडर से लगातार 24 घंटे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है इसलिए उन्हें शहरी क्षेत्र के लिए लागू विद्युत दर के अनुसार बिलिंग की जा रही है, टैरिफ आदेश वर्ष 2006–07 के पश्चात् समय–समय पर जारी टैरिफ आदेश में सामान्य निबंधन की शर्त के बिन्दु क्रमांक 1 के विपरीत है।

13 माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय–समय पर जारी टैरिफ आदेश में सामान्य शर्त के बिन्दु क्रमांक 1 पर ग्रामीण क्षेत्र को परिभाषित किया गया जिसमें मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25.53.2006 में शामिल किये गये क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्र ही माना जाए जिसके अनुसार आवेदक को उनके विद्युत कनेक्शन के लिए ग्रामीण क्षेत्र हेतु निर्धारित टैरिफ दर पर बिलिंग की जानी चाहिए।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर आदेशित किया जाता है कि अनावेदक आवेदक को माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय–समय पर जारी टैरिफ आदेश की सामान्य निबंधन की शर्तों के बिन्दु क्रमांक 1 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के लिए निर्धारित टैरिफ दर के अनुसार ही विद्युत देयक जारी करें।

फोरम के आदेश को अपास्त किया जाता है।

आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल